

स्वतंत्रता संग्राम में महाकौशल क्षेत्र के आदिवासी समुदायों की भूमिका एवं जंगल सत्याग्रह : एक ऐतिहासिक अध्ययन (1885-1947 ई.)

पवन कुमार सोनिक

सहायक प्राध्यापक (इतिहास), शासकीय महाविद्यालय कुरई, सिवनी (म.प्र.)

डी.पी. ग्वालवंशी

सहा.प्रा. (इतिहास), विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, अ. स. (उशिवि), भोपाल नर्मदापुरम, (म.प्र.)

सारांश

भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास केवल शहरी राजनीतिक नेतृत्व, कांग्रेस संगठनों और प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलनों का इतिहास नहीं है, बल्कि इसमें ग्रामीण, वनवासी तथा आदिवासी समुदायों के संघर्षों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। महाकौशल क्षेत्र (जिसमें वर्तमान जबलपुर, मंडला, डिंडोरी, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, नरसिंहपुर और कटनी जिले सम्मिलित माने जाते हैं) का सामाजिक एवं आर्थिक जीवन लंबे समय से वनों और वन-संसाधनों से जुड़ा रहा है। औपनिवेशिक शासन द्वारा वन-प्रशासन के विस्तार, वन कानूनों, आरक्षित एवं संरक्षित वनों की स्थापना, चराई तथा लकड़ी और लघु वनोपज पर नियंत्रण ने आदिवासी समुदायों के परंपरागत अधिकारों को प्रभावित किया। 1878 के वन कानून और बाद में 1927 के भारतीय वन अधिनियम ने वन संसाधनों पर राज्य के नियंत्रण को अधिक संस्थागत बनाया।

यह शोध-पत्र 1885 से 1947 तक महाकौशल के आदिवासी प्रतिरोध के ऐतिहासिक विकास, औपनिवेशिक वन नीति के प्रभाव, जंगल सत्याग्रह की प्रकृति, राष्ट्रीय आंदोलन के साथ उसके संबंध तथा 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में आदिवासी भागीदारी का विश्लेषण करता है। अध्ययन का निष्कर्ष है कि महाकौशल के आदिवासी समुदायों का स्वतंत्रता संघर्ष केवल राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग तक सीमित नहीं था; उसमें जल, जंगल, जमीन, आजीविका, सामुदायिक स्वायत्तता और पारंपरिक अधिकारों की रक्षा का प्रश्न भी अंतर्निहित था।

प्रमुख शब्द: महाकौशल, आदिवासी, गोंड, बैगा, कोरकू, जंगल सत्याग्रह, वन कानून, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम।

1. प्रस्तावना

भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन एक बहुस्तरीय और बहुआयामी ऐतिहासिक प्रक्रिया थी। इसके विभिन्न चरणों में किसानों, मजदूरों, महिलाओं, विद्यार्थियों, व्यापारियों तथा आदिवासी समुदायों ने अपनी-अपनी परिस्थितियों के अनुरूप औपनिवेशिक सत्ता का विरोध किया। आदिवासी समुदायों के लिए औपनिवेशिक शासन का अनुभव मुख्यतः उनकी भूमि, जंगल और पारंपरिक आजीविका पर बढ़ते सरकारी नियंत्रण से जुड़ा था।

मध्य भारत का महाकौशल क्षेत्र इस दृष्टि से विशेष महत्त्व रखता है। सतपुड़ा और मैकाल की पर्वतीय एवं वनाच्छादित भौगोलिक संरचना ने यहां गोंड, बैगा, कोरकू सहित अनेक समुदायों के सामाजिक-आर्थिक जीवन को आकार दिया। औपनिवेशिक काल के प्रारंभिक विवरणों में भी सिवनी, मंडला तथा सतपुड़ा क्षेत्र को गोंड और अन्य वनवासी समुदायों के प्रमुख निवास क्षेत्रों के रूप में वर्णित किया गया है।

औपनिवेशिक राज्य के लिए वन केवल स्थानीय समुदायों की जीवन-व्यवस्था का आधार नहीं थे, बल्कि लकड़ी, रेलवे, राजस्व तथा वाणिज्यिक उत्पादन के महत्वपूर्ण संसाधन थे। इस कारण वन प्रशासन का उद्देश्य धीरे-धीरे सामुदायिक उपयोग से हटकर राज्य नियंत्रण एवं वाणिज्यिक उपयोग की ओर बढ़ा। भारतीय वन अधिनियम 1878 ने आरक्षित एवं संरक्षित वनों की व्यवस्था को मजबूत किया और बाद में भारतीय वन अधिनियम 1927 ने वन प्रशासन को अधिक व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान किया।

इन्हीं परिस्थितियों में आदिवासी समुदायों का वन कानूनों के विरुद्ध प्रतिरोध विकसित हुआ। 1930 में गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन ने इस प्रतिरोध को राष्ट्रीय आंदोलन के व्यापक संदर्भ से जोड़ने का अवसर प्रदान किया। मध्य प्रांतों में, जहां नमक कानून को चुनौती देने की अपेक्षाकृत सीमित संभावनाएं थीं, वन कानूनों की अवज्ञा सविनय अवज्ञा की प्रमुख अभिव्यक्तियों में से एक बनी।

2. अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

1. 1885–1947 के मध्य महाकौशल क्षेत्र में आदिवासी समुदायों की सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति का अध्ययन करना।
2. औपनिवेशिक वन नीति और वन कानूनों के आदिवासी जीवन पर प्रभाव का विश्लेषण करना।
3. गोंड, बैगा और कोरकू समुदायों के औपनिवेशिक शासन-विरोधी प्रतिरोध का अध्ययन करना।
4. 1930 के जंगल सत्याग्रह की पृष्ठभूमि, स्वरूप एवं विस्तार का अध्ययन करना।
5. जंगल सत्याग्रह और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंधों का विश्लेषण करना।
6. महाकौशल के विभिन्न जिलों में जंगल सत्याग्रह की प्रकृति का तुलनात्मक अध्ययन करना।
7. 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में महाकौशल के आदिवासी समुदायों की भागीदारी का अध्ययन करना।
8. स्वतंत्रता आंदोलन में आदिवासी प्रतिरोध के स्थानीय तथा राष्ट्रीय आयामों को स्पष्ट करना।
9. स्वतंत्रता संग्राम के व्यापक इतिहास में जंगल सत्याग्रह के ऐतिहासिक महत्व का मूल्यांकन करना।

3. शोध-पद्धति

यह अध्ययन मुख्यतः ऐतिहासिक एवं विश्लेषणात्मक पद्धति पर आधारित है। इसमें प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया गया है।

3.1 प्राथमिक स्रोत

अध्ययन में औपनिवेशिक प्रशासनिक अभिलेखों, जिला गजेटियरों, वन संबंधी कानूनों तथा तत्कालीन प्रशासनिक विवरणों को आधार बनाया गया है। ब्रिटिश लाइब्रेरी के अभिलेखों में केंद्रीय प्रांत एवं बरार के जिला गजेटियरों और विशेष रूप से बालाघाट संबंधी प्रशासनिक-सांख्यिकीय अभिलेखों का उल्लेख मिलता है।

3.2 द्वितीयक स्रोत

द्वितीयक स्रोतों में आधुनिक इतिहासकारों के अध्ययन, आदिवासी इतिहास संबंधी शोध, विश्वविद्यालयीय अध्ययन-सामग्री तथा सरकारी डिजिटल अभिलेखों को शामिल किया गया है। भारत

सरकार के आजादी का अमृत महोत्सव पोर्टल पर गंजन सिंह कोरकू और महाकौशल क्षेत्र के स्वतंत्रता आंदोलन संबंधी सामग्री भी उपलब्ध है।

3.3 अध्ययन की सीमा

अध्ययन की काल-सीमा **1885 से 1947 ई.** रखी गई है। भौगोलिक रूप से महाकौशल के वर्तमान जबलपुर संभाग के आठ जिलों (जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला और डिंडोरी) को अध्ययन का मुख्य क्षेत्र माना गया है।

4. महाकौशल क्षेत्र की भौगोलिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि

महाकौशल मध्य भारत का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक-सांस्कृतिक क्षेत्र है। इसका बड़ा भाग सतपुड़ा और मैकाल की पर्वतीय श्रेणियों तथा घने वनों से प्रभावित रहा है। इस क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों ने यहां की अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना पर गहरा प्रभाव डाला।

गोंड समुदाय इस क्षेत्र का एक प्रमुख आदिवासी समुदाय था। औपनिवेशिक काल के प्रारंभिक विवरणों के अनुसार केंद्रीय प्रांतों में गोंडों की बड़ी आबादी थी तथा उनका महत्वपूर्ण संकेंद्रण सतपुड़ा क्षेत्र के छिंदवाड़ा, बैतूल, सिवनी और मंडला जिलों में था।

बैगा समुदाय विशेष रूप से मंडला, मैकाल तथा आसपास के वन क्षेत्रों में निवास करता था। उनका जीवन कृषि, वनोपज, शिकार तथा जंगल से जुड़े अन्य पारंपरिक संसाधनों पर आधारित था। पुराने औपनिवेशिक विवरणों में बैगा समुदाय की झूम अथवा स्थानांतरित कृषि तथा वन-आधारित जीवन-व्यवस्था का उल्लेख मिलता है।

सिवनी के औपनिवेशिक गजेटियर में भी सतपुड़ा के वन क्षेत्रों में गोंड, बैगा और कोरकू जैसे समुदायों के निवास तथा वन एवं कृषि पर निर्भरता का उल्लेख मिलता है।

इस प्रकार जंगल आदिवासी समाज के लिए केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं था। वह—

- भोजन का स्रोत,
- ईंधन का स्रोत,
- पशु चराई का क्षेत्र,
- कृषि के लिए आवश्यक संसाधन,
- औषधीय वनस्पतियों का स्रोत,
- धार्मिक-सांस्कृतिक जीवन का आधार तथा
- सामुदायिक जीवन की आर्थिक सुरक्षा

का आधार था।

अतः जब औपनिवेशिक शासन ने जंगल को प्रशासनिक और वाणिज्यिक संपत्ति के रूप में देखना प्रारंभ किया, तो इसका प्रभाव सीधे आदिवासी जीवन पर पड़ा।

5. औपनिवेशिक वन नीति और आदिवासी समुदाय

5.1 वन पर औपनिवेशिक नियंत्रण

ब्रिटिश शासन के दौरान वन नीति का विकास मुख्यतः प्रशासनिक नियंत्रण, राजस्व तथा वाणिज्यिक हितों से प्रेरित था। रेलवे के विस्तार के लिए लकड़ी की आवश्यकता बढ़ी और वन संसाधनों का आर्थिक महत्व बढ़ता गया।

1865 का भारतीय वन अधिनियम वन नियंत्रण की प्रारंभिक दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। 1878 के अधिनियम ने आरक्षित तथा संरक्षित वनों की व्यवस्था को अधिक व्यापक रूप दिया। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की रिपोर्ट में भी 1878 के कानून द्वारा आरक्षित एवं संरक्षित वनों की व्यवस्था स्थापित किए जाने का उल्लेख है।

5.2 पारंपरिक अधिकारों पर प्रभाव

आदिवासी समाज जंगल से अनेक प्रकार के संसाधन प्राप्त करता था। परंतु वन विभाग की स्थापना के बाद—

- लकड़ी काटना,
- चराई,
- शिकार,
- झूम/स्थानांतरित कृषि,
- ईंधन और अन्य वन उपज का संग्रह

अधिकाधिक प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन हो गए।

1878 की वन नीति के परिणामस्वरूप स्थानीय समुदायों के अनेक परंपरागत अधिकार सीमित हुए और वन विभाग का नियंत्रण मजबूत हुआ।

5.3 भारतीय वन अधिनियम, 1927

भारतीय वन अधिनियम, 1927 ने औपनिवेशिक वन प्रशासन को एक अधिक संगठित कानूनी ढांचा प्रदान किया। इसमें आरक्षित वन, संरक्षित वन और ग्राम वन जैसी श्रेणियां निर्धारित की गईं। कानून ने वन-उत्पाद, चराई तथा कृषि विस्तार जैसी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए व्यापक अधिकार प्रशासन को प्रदान किए। इस कानून के तहत आरक्षित वन में नए अधिकारों के अर्जन पर कठोर सीमाएं लगाई गईं। इस प्रकार वन कानून आदिवासी समाज की पारंपरिक जीवन-व्यवस्था और औपनिवेशिक राज्य की संसाधन-नीति के बीच संघर्ष का महत्वपूर्ण आधार बन गए।

6. 1885–1920 : आदिवासी प्रतिरोध की पृष्ठभूमि

1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ भारत के राजनीतिक इतिहास में एक नया चरण प्रारंभ हुआ। हालांकि प्रारंभिक कांग्रेस की गतिविधियां मुख्यतः शिक्षित मध्यमवर्गीय और शहरी क्षेत्रों में केंद्रित थीं, लेकिन वन क्षेत्रों में आदिवासी समुदाय अपने स्थानीय प्रश्नों के आधार पर औपनिवेशिक शासन का प्रतिरोध कर रहे थे।

महाकौशल में इस समय आदिवासी प्रतिरोध का मुख्य आधार था—

1. वन अधिकारों में कमी,
2. चराई पर नियंत्रण,
3. वन उपज के संग्रह पर प्रतिबंध,
4. भूमि पर सरकारी नियंत्रण,
5. राजस्व एवं कर,
6. साहूकारों एवं व्यापारियों का बढ़ता प्रभाव तथा
7. वन विभाग के अधिकारियों का हस्तक्षेप।

इस चरण के प्रतिरोध को सीधे कांग्रेस के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा मानना ऐतिहासिक रूप से उचित नहीं होगा। आदिवासी समाज की अपनी स्थानीय राजनीतिक एवं आर्थिक शिकायतें थीं। बाद में राष्ट्रीय आंदोलन ने इन स्थानीय प्रतिरोधों के लिए एक व्यापक राजनीतिक मंच उपलब्ध कराया।

7. असहयोग आंदोलन और महाकौशल

1920-22 का असहयोग आंदोलन महाकौशल के राजनीतिक वातावरण को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण चरण था। राष्ट्रीय आंदोलन के विस्तार के साथ ग्रामीण एवं वन क्षेत्रों में भी राजनीतिक चेतना बढ़ी।

महाकौशल में जबलपुर राष्ट्रीय राजनीति का महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभरा। 1923 का झंडा सत्याग्रह जबलपुर में राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों में शामिल था।

यद्यपि झंडा सत्याग्रह मुख्यतः शहरी राजनीतिक आंदोलन था, लेकिन इसने महाकौशल में राष्ट्रीय आंदोलन की राजनीतिक पृष्ठभूमि तैयार करने में योगदान दिया। धीरे-धीरे राष्ट्रीय नेताओं और स्थानीय समुदायों के बीच संपर्क बढ़ा।

8. जंगल सत्याग्रह की पृष्ठभूमि

1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया। नमक कानून राष्ट्रीय आंदोलन का प्रमुख प्रतीक बना, लेकिन मध्य प्रांतों की परिस्थितियां भिन्न थीं। यहां जंगल से संबंधित कानून ग्रामीण और आदिवासी जनता के दैनिक जीवन से सीधे जुड़े हुए थे।

इसी कारण मध्य प्रांतों में वन कानूनों की अवज्ञा सविनय अवज्ञा आंदोलन की एक महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति बनी। समकालीन शोध के अनुसार केंद्रीय प्रांतों में कांग्रेस नेतृत्व ने वन सत्याग्रह को जनाधार विस्तार के माध्यम के रूप में भी देखा, जबकि आदिवासी समुदायों के लिए इसके पीछे अपने पारंपरिक वन-अधिकारों की वास्तविक समस्या थी।

इस प्रकार जंगल सत्याग्रह की दो परतें दिखाई देती हैं—

पहली, राष्ट्रीय आंदोलन की राजनीतिक परत;

दूसरी, आदिवासी समुदायों की स्थानीय सामाजिक-आर्थिक परत।

दोनों के मेल ने आंदोलन को व्यापक स्वरूप दिया।

9. 1930 का जंगल सत्याग्रह

9.1 आंदोलन का स्वरूप

जंगल सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य औपनिवेशिक वन कानूनों की अवज्ञा करना और वन संसाधनों के उपयोग के पारंपरिक अधिकारों को पुनः स्थापित करने की मांग करना था।

आंदोलन के दौरान कई स्थानों पर लोगों ने—

- जंगल में प्रवेश किया,
- घास काटी,
- लकड़ी एकत्र की,
- चराई संबंधी प्रतिबंधों का उल्लंघन किया,
- वन विभाग के आदेशों की अवज्ञा की,
- गिरफ्तार नेताओं को छुड़ाने का प्रयास किया।

मध्य प्रांतों में जंगल सत्याग्रह कई स्थानों पर व्यापक जन-आंदोलन में परिवर्तित हुआ।

9.2 सिवनी

सिवनी के घने वन क्षेत्रों में जंगल सत्याग्रह विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहा। उपलब्ध ऐतिहासिक सामग्री के अनुसार यहां वनवासियों ने जंगल को अपने प्राकृतिक अधिकार का क्षेत्र माना और वन संरक्षण संबंधी औपनिवेशिक प्रतिबंधों को अपने परंपरागत अधिकारों में हस्तक्षेप के रूप में देखा। अक्टूबर 1930 में आंदोलन को दबाने के प्रयासों के दौरान गोंड समुदाय और पुलिस के बीच टकराव भी हुआ।

सिवनी की भौगोलिक स्थिति ने भी आंदोलन के विस्तार में योगदान दिया। यहां के सतपुड़ा वन लंबे समय से गोंड, बैगा और अन्य वनवासी समुदायों की आजीविका का आधार थे। औपनिवेशिक गजेटियर में भी इन वन क्षेत्रों में आदिवासी समुदायों की उपस्थिति और वन-आधारित जीवन का वर्णन मिलता है।

9.3 मंडला और डिंडोरी

मंडला क्षेत्र आदिवासी आबादी की दृष्टि से महाकौशल का महत्वपूर्ण क्षेत्र था। 1930 के दौरान मंडला में भी जंगल सत्याग्रह तथा सविनय अवज्ञा की गतिविधियों ने व्यापक रूप ग्रहण किया।

सितंबर 1930 में डिंडोरी में बड़ी संख्या में गोंड लोगों के एकत्र होने तथा गिरफ्तार व्यक्तियों को छुड़ाने के प्रयास का उल्लेख मिलता है। प्रशासन ने इस आंदोलन को नियंत्रित करने के लिए पुलिस और अन्य अधिकारियों का उपयोग किया।

यह घटना दर्शाती है कि आंदोलन केवल वन कानूनों की अवज्ञा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि औपनिवेशिक प्रशासन की वैधता को चुनौती देने वाला सामूहिक प्रतिरोध भी बन गया।

10. गंजन सिंह कोरकू और जंगल सत्याग्रह

महाकौशल क्षेत्र के जंगल सत्याग्रह में गंजन सिंह कोरकू का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। भारत सरकार के आजादी का अमृत महोत्सव के डिजिटल जिला अभिलेख के अनुसार गंजन सिंह कोरकू बैतूल क्षेत्र से संबंधित थे और 22 अगस्त 1930 को उन्होंने सैकड़ों गोंड और कोरकू लोगों के साथ आरक्षित वन क्षेत्र में प्रवेश किया।

उपलब्ध सरकारी विवरण के अनुसार पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास किया, जिसके दौरान संघर्ष हुआ और पुलिस गोलीबारी में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई। गंजन सिंह गिरफ्तारी से बच निकले, लेकिन बाद में गिरफ्तार किए गए और उन्हें पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी गई।

यद्यपि बैतूल को प्रशासनिक दृष्टि से वर्तमान महाकौशल की आठ-जिला संरचना में नहीं रखा जाता, फिर भी तत्कालीन **Central Provinces** की व्यापक राजनीतिक एवं वन-आंदोलन की पृष्ठभूमि में इसका अध्ययन महाकौशल के जंगल सत्याग्रह को समझने के लिए उपयोगी है। इससे स्पष्ट होता है कि मध्य भारत का वनवासी प्रतिरोध जिला सीमाओं से आगे एक व्यापक क्षेत्रीय प्रवृत्ति का हिस्सा था।

11. जंगल सत्याग्रह और कांग्रेस

जंगल सत्याग्रह को केवल कांग्रेस द्वारा संचालित आंदोलन मानना भी उचित नहीं होगा। उपलब्ध शोध से स्पष्ट होता है कि कांग्रेस ने 1930 में वनवासियों तक पहुंच बनाने और सविनय अवज्ञा का विस्तार करने का प्रयास किया। किंतु अनेक आदिवासी क्षेत्रों में आंदोलन स्थानीय मुद्दों तथा समुदायों की अपनी आकांक्षाओं के आधार पर आगे बढ़ा।

कांग्रेस नेतृत्व और आदिवासी जनता के बीच संबंधों में कभी सहयोग तो कभी तनाव दिखाई दिया। कुछ स्थानों पर कांग्रेस नेताओं ने अहिंसक और नियंत्रित सत्याग्रह पर जोर दिया, जबकि स्थानीय

जनता की प्रतिक्रिया अधिक उग्र हो सकती थी। केंद्रीय प्रांतों में कुछ जंगल सत्याग्रहों ने हिंसक रूप भी ग्रहण किया, जिसके कारण कांग्रेस नेतृत्व और स्थानीय आदिवासी आंदोलन के बीच दूरी पैदा हुई।

12. आदिवासी महिलाओं की भूमिका

महाकौशल के आदिवासी समाज में महिलाओं की आर्थिक भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। वन से ईंधन, खाद्य पदार्थ, औषधीय सामग्री और अन्य लघु वनोपज एकत्र करने में उनकी भागीदारी रहती थी। इसलिए वन संबंधी प्रतिबंधों का प्रभाव केवल पुरुषों पर नहीं बल्कि पूरे परिवार और विशेष रूप से महिलाओं पर पड़ता था।

राष्ट्रीय आंदोलन के विस्तार के साथ महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी भी बढ़ी। हालांकि उपलब्ध औपनिवेशिक अभिलेख पुरुष नेताओं और गिरफ्तारियों को अधिक दर्ज करते हैं, इसलिए आदिवासी महिलाओं की वास्तविक भागीदारी का पुनर्निर्माण कठिन है। यह इतिहासलेखन की एक महत्वपूर्ण सीमा है।

इस संदर्भ में मौखिक इतिहास, लोकगीत, स्थानीय स्मृतियां और समुदाय आधारित स्रोत विशेष महत्व रखते हैं। बैगा समुदाय से संबंधित लोक-स्मृतियों में औपनिवेशिक शासन के दौरान वन और कर संबंधी कठिनाइयों का उल्लेख मिलता है। Verrier Elwin द्वारा संकलित मध्य भारत के लोकगीतों में भी औपनिवेशिक कर एवं वन नियंत्रण से उत्पन्न कठिनाइयों की अभिव्यक्ति मिलती है।

13. 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन

8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने राष्ट्रीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। महाकौशल में भी आंदोलन तेजी से फैल गया।

जबलपुर इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। उपलब्ध ऐतिहासिक विवरणों में 1942 में जबलपुर में सभाओं, जुलूसों, गिरफ्तारियों और पुलिस कार्रवाई का उल्लेख मिलता है।

मंडला और आसपास के आदिवासी क्षेत्रों में भी आंदोलन का प्रभाव पड़ा। राष्ट्रीय आंदोलन का यह चरण जंगल सत्याग्रह से भिन्न था, लेकिन दोनों आंदोलनों के बीच एक वैचारिक निरंतरता दिखाई देती है—औपनिवेशिक प्रशासन की वैधता को चुनौती।

आदिवासी क्षेत्रों में भारत छोड़ो आंदोलन ने पूर्ववर्ती जंगल आंदोलनों से विकसित राजनीतिक चेतना को और मजबूत किया।

14. आदिवासी प्रतिरोध की प्रमुख विशेषताएं

महाकौशल के आदिवासी स्वतंत्रता संघर्ष का विश्लेषण करने पर निम्नलिखित विशेषताएं सामने आती हैं—

14.1 आर्थिक आधार

आदिवासी प्रतिरोध का प्रमुख आधार आजीविका था। जंगल पर प्रतिबंधों का अर्थ भोजन, ईंधन, पशु चराई और आय के स्रोतों पर प्रतिबंध था।

14.2 सामुदायिक प्रकृति

अनेक आंदोलनों में बड़ी संख्या में ग्रामीण और वनवासी सामूहिक रूप से शामिल हुए। इससे स्पष्ट है कि संघर्ष व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामुदायिक प्रकृति का था।

14.3 स्थानीय नेतृत्व

आंदोलन में स्थानीय नेताओं और समुदाय-आधारित नेतृत्व की महत्वपूर्ण भूमिका थी। गंजन सिंह कोरकू इसका एक उदाहरण हैं।

14.4 राष्ट्रीय आंदोलन से संबंध

1930 के बाद जंगल सत्याग्रह राष्ट्रीय सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ा, लेकिन इसका सामाजिक आधार स्थानीय वन अधिकारों में निहित था।

14.5 अहिंसा और प्रतिरोध के बीच तनाव

कांग्रेस की अहिंसक राजनीतिक रणनीति और स्थानीय जनता की प्रतिक्रियाओं के बीच कई बार अंतर दिखाई दिया। कुछ स्थानों पर गिरफ्तारियों का विरोध और पुलिस से टकराव आंदोलन को उग्र बना देता था।

15. जंगल सत्याग्रह : एक विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण

जंगल सत्याग्रह को केवल वन कानून तोड़ने की घटना के रूप में देखना इसके व्यापक ऐतिहासिक महत्व को सीमित कर देता है। वास्तव में यह औपनिवेशिक राज्य की उस धारणा के विरुद्ध संघर्ष था जिसमें जंगल को मुख्यतः राज्य के नियंत्रण और आर्थिक उपयोग के संसाधन के रूप में देखा गया।

आदिवासी समाज की दृष्टि से जंगल एक **जीवित सामाजिक-सांस्कृतिक संसाधन** था। इसके विपरीत औपनिवेशिक प्रशासन ने वन को—

- राजस्व,
- लकड़ी,
- रेलवे,
- उद्योग और
- प्रशासनिक नियंत्रण

के दृष्टिकोण से व्यवस्थित किया।

यही अंतर संघर्ष का मूल कारण बना।

वन सत्याग्रहों के संदर्भ में शोध यह बताता है कि औपनिवेशिक वन नीतियों ने स्थानीय समुदायों की पारंपरिक उपयोग व्यवस्था को सीमित किया और वन संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण बढ़ाया।

इसलिए जंगल सत्याग्रह को आधुनिक अर्थ में **पर्यावरणीय आंदोलन, आजीविका आंदोलन और औपनिवेशिक विरोधी आंदोलन**—तीनों के ऐतिहासिक पूर्वरूप के रूप में समझा जा सकता है; हालांकि उस समय स्वयं आंदोलनकारियों की प्राथमिक भाषा मुख्यतः अधिकार, आजीविका और औपनिवेशिक कानूनों के विरोध की थी।

16. महाकौशल के आदिवासी स्वतंत्रता संघर्ष का राष्ट्रीय महत्व

महाकौशल के आदिवासी आंदोलनों का राष्ट्रीय महत्व निम्नलिखित आधारों पर स्पष्ट किया जा सकता है—

क्रम	पक्ष	ऐतिहासिक महत्व
1	वन अधिकार	परंपरागत सामुदायिक अधिकारों की रक्षा
2	आर्थिक प्रतिरोध	औपनिवेशिक राजस्व एवं संसाधन नियंत्रण का विरोध
3	राजनीतिक चेतना	ब्रिटिश शासन की वैधता को चुनौती

4	जनभागीदारी	राष्ट्रीय आंदोलन का ग्रामीण एवं वन क्षेत्रों में विस्तार
5	स्थानीय नेतृत्व	समुदाय आधारित नेतृत्व का विकास
6	कांग्रेस से संबंध	राष्ट्रीय राजनीति और स्थानीय आंदोलनों का संपर्क
7	1942 आंदोलन	औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध व्यापक प्रतिरोध
8	ऐतिहासिक विरासत	स्वतंत्रता संघर्ष में आदिवासी योगदान की पहचान

17. निष्कर्ष

1885 से 1947 तक महाकौशल क्षेत्र का इतिहास भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की उस महत्वपूर्ण धारा को सामने लाता है जिसे लंबे समय तक मुख्यधारा के इतिहास में पर्याप्त स्थान नहीं मिला। गोंड, बैगा, कोरकू तथा अन्य वनवासी समुदायों का औपनिवेशिक शासन से संघर्ष केवल राष्ट्रीय राजनीतिक स्वतंत्रता की आकांक्षा का परिणाम नहीं था। वह उनके जीवन के मूल आधार—**जंगल, जमीन और सामुदायिक संसाधनों**—की रक्षा से भी गहराई से जुड़ा था।

औपनिवेशिक वन नीति ने वन को राज्य के प्रशासनिक एवं आर्थिक नियंत्रण में लाने का प्रयास किया। इसके परिणामस्वरूप उन समुदायों के पारंपरिक अधिकार सीमित हुए जिनकी आजीविका पीढ़ियों से जंगल पर आधारित थी। भारतीय वन अधिनियम 1927 ने इस नियंत्रण को कानूनी रूप से अधिक व्यवस्थित किया।

1930 का जंगल सत्याग्रह इस लंबे सामाजिक-आर्थिक संघर्ष को राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ने वाला निर्णायक चरण था। सिवनी, मंडला और आसपास के क्षेत्रों में आदिवासी समुदायों की भागीदारी ने यह स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय आंदोलन का वास्तविक विस्तार तभी संभव था जब वह ग्रामीण और वनवासी जनता के स्थानीय प्रश्नों से जुड़ा था।

गंजन सिंह कोरकू जैसे स्थानीय नेताओं की भूमिका यह दर्शाती है कि आदिवासी समाज केवल राष्ट्रीय नेताओं के आह्वान का निष्क्रिय अनुयायी नहीं था, बल्कि अपने अनुभवों और अधिकारों के आधार पर औपनिवेशिक सत्ता का सक्रिय प्रतिरोध कर रहा था।

इस दृष्टि से जंगल सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। यह **राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक न्याय, सामुदायिक अधिकार और प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय नियंत्रण** के प्रश्नों को एक साथ सामने लाता है। इसलिए महाकौशल के स्वतंत्रता संग्राम का पुनर्मूल्यांकन आदिवासी समुदायों की सक्रिय भूमिका को केंद्र में रखकर किया जाना आवश्यक है।

संदर्भ सूची

1. एल्विन, वेरियर, बैगा, नई दिल्ली: जनजातीय शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, 1939।
2. एल्विन, वेरियर, मध्य भारत के आदिवासी जीवन और संस्कृति। नई दिल्ली: राजकमल प्रकाशन।
3. सिंह, के. एस. भारत में जनजातीय आंदोलन। नई दिल्ली: मनोहर पब्लिकेशन्स।
4. सरकार, सुमित, आधुनिक भारत : 1885-1947, नई दिल्ली: मैकमिलन इंडिया लिमिटेड।
5. बेकर, डेविड, मध्य प्रांत और बरार में राजनीतिक नेतृत्व : 1919-1939। ऑक्सफोर्ड: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
6. भारत सरकार, भारतीय वन अधिनियम, 1927, नई दिल्ली: भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय।
7. मध्य प्रांत एवं बरार शासन, सेंट्रल प्रोविंसेज डिस्ट्रिक्ट गजेटियर : मंडला जिला। नागपुर: सरकारी मुद्रणालय।
8. मध्य प्रांत एवं बरार शासन, सेंट्रल प्रोविंसेज डिस्ट्रिक्ट गजेटियर : सिवनी जिला। नागपुर: सरकारी मुद्रणालय।
9. मध्य प्रदेश शासन, मध्य प्रदेश का इतिहास एवं संस्कृति, भोपाल: मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी।
10. भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, अनुसूचित जनजातियों तथा वन अधिकारों से संबंधित रिपोर्ट। नई दिल्ली: भारत सरकार।